न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No.2020/00170 (Bank Case)
Manual no- 55/2020

श्रीराम हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड जिसका पंजिकृत कार्यालय नं. 123, अनगप्पा, नैकन स्ट्रीट, चैन्नई–600001 एवं एक शाखा कार्यालय श्रीराम हाउसिंह फाईनेन्स लिमिटेड, कोटा जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री लोकेन्द्र कौशिक

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्रीमती नसीम बानो पत्नि श्री मोहम्मद सलीम
   पता– पुरानी सब्जी मण्डी, सुन्दर धर्मशाला के सामने, सदभावना, कटला कोटा राज.–324006 (ऋणी व बंधनकर्ता)
2. श्री मोहम्मद सलीम पुत्र श्री मोहम्मद इकबाल
   पता– पुरानी सब्जी मण्डी, सुन्दर धर्मशाला के सामने, सदभावना, कटला कोटा राज.–324006 (ऋणी)
3. श्री वसीम अहमद पुत्र श्री मोहम्मद सलीम
   पता– पुरानी सब्जी मण्डी, सुन्दर धर्मशाला के सामने, सदभावना, कटला कोटा राज.–324006 (ऋणी)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 14 . 10 .2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्रीराम हाउसिंह फाइनेन्स लिमिटेड जिसका पंजिकृत कार्यालय नं. 123, अनगप्पा, नैकन स्ट्रीट, चैन्नई–600001 एवं एक शाखा कार्यालय श्रीराम हाउसिंह फाईनेन्स लिमिटेड, कोटा में स्थित एवं कार्यरत है से अप्रार्थी/ऋणी ने केश क्रेडिट लिमिट लोन खाते में रू. 20,46,110 (अक्षरेः रूपये बीस लाख छियालिस हजार एक सौ दस मात्र ।) ऋण राशि दिनांक 09.11.2017 को लिया था । अप्रार्थी ऋणीं द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के ऐवज में ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्रीमती नसीम बानो पत्नि श्री मोहम्मद सलीम की सम्पत्ति जो कि मकान नं. 3–जी.ए.–8 विज्ञान नगर, तहसील लाडपुरा, जिला–कोटा राजस्थान–324005 पर स्थित है, जिसका क्षैत्रफल 460 वर्ग फीट है । सीमाएं पूर्व में–रोड, पश्चिम में– मकान नं. 3–जी.ए.–43 , उत्तर में– मकान नं. 3–जी.ए.–7. , दक्षिण में– मकान नं. 3–जी.ए.–9** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 05.01.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी उसके खाते मे 21,05,649/– (अक्षरे रूपये इक्कीस लाख पॉच हजार, छह सौ उनचास मात्र) बकाया रकम दिनांक 12.02.2020 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 12.02.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण दिनांक 12.02.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस को दिनांक 12.02.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति श्रीमती नसीम बानो पत्नि श्री मोहम्मद सलीम की सम्पत्ति जो कि मकान नं. 3–जी.ए.–8 विज्ञान नगर, तहसील लाडपुरा, जिला–कोटा राजस्थान–324005 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 460 वर्ग फीट है । सीमाएं पूर्व में–रोड, पश्चिम में– मकान नं. 3–जी.ए.–43 , उत्तर में– मकान नं. 3–जी.ए.–7 , दक्षिण में– मकान नं. 3–जी.ए.–9** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 14 .10. 2020 को सुनाया गया ।

14/10

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा